N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

प्रथम सूचना रिपोर्ट
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT   P.S. (थाना): C.P.S Jaipur   Year (वर्ष): 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0026   Date and Time of FIR (एफ.आई.आर. की तिथि/समय): 05/02/2025 18:00 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 का अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 का अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

Day (दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 03/09/2024   Date To (दिनांक तक): 19/09/2024

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 14:00 बजे   Time To (समय तक): 14:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 05/02/2025   Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002   Date & Time (दिनांक एवं समय): 05/02/2025 18:00:32 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

(a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-WEST, 35 किमी   Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): TAHASIL KARYALAYA NAWALGARH, JILA JHUNJHUNU

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

ant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचना
ाम): RAMDEVARAM
s Name (पिता का नाम): BODU JATI

ear of Birth
थि/ वर्ष): 1975 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

o(यूआईडी सं.):
ort No. (पासपोर्ट सं.):
Issue Place of Issue
ने की तिथि): का स्थान):
s (Ration Card,Voter ID Card,Pass UID No.,Drivin License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड,
पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग ैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

ation (व्यवसाय):
s(पता):

S.No. (क्र.	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
	वर्तमान पता	GRAM RUBAS,J AJHAR, NAWALGARH, JHUNJHUNU, RAJA AN, INDIA
	स्थायी पता	GRAM UBAS,J AJHAR, NAWALGARH, JHUNJHUNU, RAJA INDIA

number
न.): Mobile (मो इल नं.): [redacted]

known/suspected/unknown accuse full particulars
/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित व
ore Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक):

S.No. Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
JAGMAL SINGH		पिता:DHARMPAL SINGH	1. GRAM DHAMORA/JHAKHARO KI DHANI,WAYA PARSAMPURA UDAIPURVATI,UDAIPUR,RAJASTHAN,INDIA
ROHITASH KUMAR		पिता:BISAARAM	1. GRAM KHEDRO KE DHANI,POST PARSRAMPURA,NAWALGARH, JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDI

r delay in reporting by the compla formant
/ सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कर):

[illegible] of properties of interest (Attach s[illegible] sheet, if necessary)
[illegible] सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो [illegible] नत्थी करें))

[illegible] Property Category ([illegible] सम्पत्ति श्रेणी)	Property [illegible] सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
[illegible] और मुद्रा	रुपये		10,000.00

[illegible] Value of property stolen(In Rs/-)
([illegible] सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)): [illegible]10,000.00

[illegible] Report / U.D. case No., if any (मृत्यु [illegible] रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण न., यदि कोई हो):

[illegible]	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

[illegible] mation contents (Attach separate [illegible] necessary)
[illegible] तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ [illegible])

[illegible].09.2024 को परिवादी श्री रामदेवाराम पुत्र [illegible] जाति जाट, उम्र 50 साल निवासी भैरुबास, झाझड़ [illegible] गढ जिला झुंझुनूं का श्रीमान अति0 पुलिस [illegible] निब्यूरो झुंझुनूं के मोबाइल पर फोन आया व बताया कि [illegible] देवाराम है मै भैरूबास, झाझड तहसील न[illegible] जिला झुंझुनूं [illegible] बोल रहा हूं। मैने मेरी पुश्तैनी भूमि 1100 [illegible] आवासीय पट्टा कार्यालय उप पंजीयक नवल[illegible] बनवाया था उक्त पट्टे का नामान्तरण चढाने हेतु हल्का [illegible] श्री रोहिताश्व व गिरदावर श्री जगमाल [illegible] 15000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे है। मै रिश्वत [illegible] ता हूं। मै गिरदावर व पटवारी को रिश्वत [illegible] हाथो पकड़वाना चाहता हू। आप अपने किसी कर्मचारी [illegible] जवा दो मै सत्यापन की कार्यवाही करवा [illegible] अधिकारियो के निर्देशानुसार श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक [illegible] वाना तलाशी में व्यस्त होने के कारण आई[illegible] ई करने की परिवादी को हिदायत दी गयी। दिनांक [illegible] को श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा [illegible] कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर मय खाली मैमोरी [illegible] गया। डिजीटल टेप रिकार्डर व खाली मैमो[illegible] को चला कर देखा गया तो टेप रिकार्डर व मैमोरी कार्ड [illegible] या। डिजिटल टेप रिकार्डर में खाली मैमोरी [illegible] कर श्री कुमार सानू कानि0 न0 138 को डिजिटल टेप [illegible] मारी कार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रि[illegible] हेतु सुपुर्द कर ग्राम झाझड़ के लिए रवाना किया। श्री [illegible] नि बाद रिश्वत मांग सत्यापन वापस आय[illegible] जीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, परिवादी द्वारा [illegible] पत्र व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकार्डर [illegible] कार्ड वार्ता दिनांक 03.09.2024 का पेश कर बताया [illegible] हुंच कर परिवादी श्री रामदेवाराम से ज[illegible] फोन वार्ता की तो परिवादी ने मुझे झाझड़ बस स्टैण्ड [illegible] कही जिस पर परिवादी झाझड़ बस स्टैण्ड [illegible] आया। परिवादी ने बताया कि गिरदावर छुट्टी पर चल [illegible] री पटवार घर में मिलेगा। ट्रेप कार्यवाही [illegible] वादी ने एक प्रार्थना पत्र मय स्वयं के आधार कार्ड की प्रति [illegible] रिकार्ड की प्रति पेश की जिसे मैने प्राप्त क[illegible] अपने पास रखा। मैने परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर [illegible] बन्द करने की विधि समझाईश कर आरो[illegible] से होने वाली बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर में [illegible] तु परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर चा[illegible] कर पटवार घर झाझड़ के लिए रिश्वत मांग सत्यापन [illegible] किया। मै वही आसपास में परिवादी के [illegible] जार में मुकीम हुआ। कुछ समय बाद परिवादी वापस [illegible] मैने डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कि[illegible] दी श्री रामदेवाराम ने बताया कि मै पटवार घर झाझड़ [illegible] पर पटवारी श्री रोहिताश्व मिला जिनसे [illegible] के सबंध में बात की तो उन्होने मेले में ड्यूटी होने के कारण [illegible] 02 बजे तक आने के लिए कहा। परिवादी को [illegible] दिनांक 04.09.2024 को दोपहर 02 बजे मिलने की हिदायत [illegible] से रूखसत किया गया। कानि0 कुमार सा[illegible] 138 ने परिवादी श्री रामदेवाराम की लिखित रिपोर्ट, [illegible] आधार कार्ड, ग्राम भैरुबास पटवार हल्का [illegible] नवलगढ़ जिला झुंझुनूं के खसरा नम्बर 2019/2016 [illegible] हैक्टेयर अर्थात 1100 वर्गमीटर का संप[illegible] (पट्टा [illegible] पत्र) व कन्वर्जन आदेश की प्रतिलिपि [illegible] र्थना पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया रिश्व[illegible] मामला बनना पाया गया। आईन्दा परिवादी के आने पर [illegible] मांग सत्यापन करवाया जावेगा। परिवा[illegible] देवाराम का प्रार्थना पत्र मय परिवादी का आधार कार्ड व [illegible] पटवार हल्का झाझड़ तहसील नवलगढ जि[illegible] के खसरा नम्बर 2019/2016 रकबा 0.1100 हैक्टेयर [illegible] वर्गमीटर का आवासीय पट्टे व कन्वर्जन आ[illegible] लिपि एवं डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को [illegible] में प्राप्त कर कार्यालय की अलमारी में रख[illegible] क 04.09.2024 को परिवादी श्री रामदेवाराम का कॉल [illegible] कानि0 138 के फोन पर आने से श्री कुम[illegible] 0 138 [illegible] डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के

[illegible] मांग सत्यापन हेतु ग्राम झाझड़ के लिये [illegible] किया। श्री कुमार सानु कानि. 138 उपस्थित कार्यालय आया [illegible] अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं चौकी से रवाना होकर झाझड़ पहुंच परिवादी को कॉल किया तो [illegible] स्टैण्ड पर मौजूद मिला, परिवादी ने बताया [illegible] मालूम किया है पटवारी आज पटवार घर झाझड़ में मौजूद [illegible] मेरे द्वारा फोन करने पर भी पटवारी ने मेरा [illegible] नहीं उठाया। मैंने परिवादी को पटवारी श्री रोहिताश्व के आने [illegible] करने की हिदायत कर रुखसत किया गया। श्री कुमार सानु कानि0 138 से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने [illegible] रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड दुरस्त हालात में [illegible] कार्यालय की अलमारी में रखा। आईन्दा परिवादी का कॉल [illegible] रिश्वत मांग सत्यापन की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.09.2024 को श्री कुमार सानु कानि. 138 ने [illegible] अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि परिवादी श्री रामदेवाराम का कॉल आया और बताया कि [illegible] कल मुझे मिलने को कहा है। अति0 पुलिस अधीक्षक मय रोहिताश्व सउनि, श्री कुमार सानु कानि0 138, [illegible] चालक श्री सुरेन्द्र कुमार के राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में रिट संख्या 5351/2023 में जबाब दावा पेश [illegible] थे जिस कारण अति. पुलिस अधीक्षक ने कुमार सानु कानि0 138 को परिवादी से कल दिनांक 18.09.2024 [illegible] की हिदायत मुनासीब की गयी। दिनांक 18.09.2024 को श्री कुमार सानु कानि0 ने जरिये मोबाईल वॉटस अप [illegible] अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि आज परिवादी ने जरिये मोबाईल अवगत कराया है कि आज [illegible] श्री रोहिताश्व व गिरदावर श्री जगमाल सिंह [illegible] हो सकती है। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टॉफ [illegible] संख्या 187/2024 के अन्वेषण हेतु भिवाड़ी [illegible] कानि0 कुमार सानु को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी [illegible] मांग सत्यापन करने हेतु परिवादी के बताये [illegible] बसावा जाने की हिदायत कर रवाना किया गया। श्री कुमार [illegible] 138 ने श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक को [illegible] अप कॉल कर अवगत कराया कि मैं आपके [illegible] परिवादी के बताये अनुसार गांव बसावा [illegible] पर परिवादी उपस्थित मिला जिसने बताया कि [illegible] पटवार घर बसावा में नही आया है। परिवादी ने गिरदावर के फोन कर पूछा तो उसने बताया कि कल दिनांक [illegible] को तहसील कार्यालय नवलगढ़ में मिलने [illegible] परिवादी को मौके पर रुखसत कर वापस चौकी आ गया [illegible] अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानि0 को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुरक्षित आलमारी में रखने की [illegible] दिनांक 19.09.2024 को श्री कुमार सानु कानि0 138 ने अति0 पुलिस अधीक्षक को जरिये वॉटस अप कॉल [illegible] कि परिवादी श्री रामदेवाराम का फोन आया [illegible] बताया कि आज मेरी श्री जगमाल सिंह गिरदावर से बात [illegible] कानि0 कुमार सानु न0 138 को डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड आलमारी से लेने की कह पर परिवादी [illegible] तहसील कार्यालय नवलगढ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन करवाने की हिदायत कर रवाना किया गया। श्री [illegible] कानि0 138 ने श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक को जरिये वॉटस अप कॉल कर अवगत कराया कि मैं परिवादी के [illegible] तहसील कार्यालय नवलगढ़ पहुचा जहा परिवादी उपस्थित मिला। मैंने परिवादी को डिजिटल टेप [illegible] मैमोरी कार्ड के श्री जगमाल सिंह गिरदावर [illegible] वाली बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी [illegible] करने हेतु परिवादी को डिजिटल टेप रिकार्डर [illegible] मैमोरी कार्ड चालू कर सुपुर्द कर तहसील कार्यालय [illegible] ए रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु रवाना [illegible] समय बाद परिवादी वापस आया जिससे मैने डिजिटल [illegible] मय मैमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी [illegible] रामदेवाराम ने बताया कि मेरी श्री जगमाल सिंह गिरदावर [illegible] संबंध में बातचीत हो गयी है जिन्होने मेरे [illegible] 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की है जिसमें से 4,000 [illegible] ने गिरदावर को दे दिये है एवम् शेष 6000 [illegible] के लिये गिरदावर ने मुझे आईन्दा कॉल करने के लिये कहा है [illegible] आवश्यक हिदायत कर नवलगढ़ से रुखसत किया गया। डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को सुरक्षित [illegible] रखा गया। दिनांक 21.09.2024 को श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक बहरोड़ से वापिस आने पर श्री कुमार सानु [illegible] रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड पेश कर हालात से अवगत कराया। श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल [illegible] मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय के कम्प्यूटर [illegible] सुना गया तो परिवादी श्री रामदेवाराम से आरोपी श्री [illegible] गिरदावर द्वारा 4000 रुपये वक्त रिश्वत [illegible] लेना एवं शेष 6000 रुपये के आईन्दा लेने की पुष्टी [illegible] डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को [illegible] कार्यालय की आलमारी में रखवाया गया। परिवादी ने [illegible] दिनांक 23.09.2024 सुबह कार्यवाही हेतु [illegible] के कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी के आने [illegible] कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 22.09.2024 को श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 को दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु [illegible] ओ बीडीके राजकीय अस्पताल झुंझुनूं के नाम [illegible] देकर रवाना किया गया। श्री ईशाक मोहम्मद कानि. 40 [illegible] राजकीय अस्पताल झुंझुनूं से दो स्वतंत्र गवाह श्री [illegible] पुत्र श्री [illegible] लाल डांगी, जाति जाट, उम्र 34 साल [illegible] हेजमपुरा पोस्ट इण्डाली तहसील व जिला [illegible] नर्सिंग ऑफिसर बी.डी.के. राजकीय अस्पताल, झुंझुनूं [illegible] कुमार गुर्जर पुत्र श्री हजारीलाल, जाति गुर्जर [illegible] साल निवासी ग्राम बसंत विहार, पोस्ट जसरापुर [illegible] जिला नीम का थाना हाल नर्सिंग ऑफिसर बी.डी.के. राजकीय अस्पताल, झुंझुनूं को दिनांक 23.09.2024 [illegible] एएम पर कार्यालय एसीबी चौकी पर उपस्थित [illegible] हेतु पाबन्द कर हाजिर आया। दिनांक 23.09.2024 को [illegible] शुदा स्वतंत्र गवाह श्री संजीव डांगी नर्सिंग ऑफिसर व श्री नरेश कुमार गुर्जर नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित

वक्त 09.30 एएम पर परिवादी श्री राम[illegible] उपस्थित कार्यालय आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने [illegible]रामदेवाराम को उसके द्वारा लिखित प्रार्थ[illegible] परिवादी का आधार कार्ड व ग्राम भैरुबास पटवार हल्का [illegible] नवलगढ जिला झुंझुनूं के खसरा नम्बर [illegible]16 रकबा 0.1100 हैक्टेयर अर्थात 1100 वर्गमीटर का [illegible]व कन्वर्जन आदेश की प्रतिलिपि दिखाकर [illegible] दरियाफ्त की गई तो बताया कि मै गांव भैरुबास [illegible] खेत में रहता हूँ। मेरे खेत में आवास हेतु 1100 वर्ग मीटर कृषि भूमि को आवासीय भूमि में उप पंजीयक [illegible]नांक 23.06.2023 को तबदील करवाया [illegible] उक्त आवासीय भूमि का पट्टा का नामान्तरण दर्ज करवाने [illegible]श्री रोहिताश्व व गिरदावर श्री जगमाल सिंह [illegible] सम्पर्क किया तो उन्होने पट्टे का नामान्तरण दर्ज करने की एवज [illegible]000 रुपये रिश्वत की मांग की है। मै दिनांक [illegible].09.2024 को श्री जगमाल सिंह गिरदार से मिला तो उन्होने [illegible] रुपये ले लिये तथा शेष 6000 रुपये के लि[illegible] बता दुंगा। श्री जगमाल सिंह गिरदावर ने कहा कि मै [illegible] श्री रोहिताश्व से काम करवा दुंगा। मेरी श्री जगमाल सिंह गिरदावर व श्री रोहिताश्व पटवारी से कोई रंजीश [illegible] ही पूर्व का कोई उधार का लेनदेन बाकी है। उक्त लिखित प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा लिखा गया है जिस पर [illegible]। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य [illegible] में व्यस्त होने के कारण अग्रीम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी [illegible] मय आधार कार्ड व ग्राम भैरुबास पटवार [illegible] झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं के खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.1100 हैक्टेयर अर्थात 1100 व[illegible] आवासीय पट्टे व कन्वर्जन आदेश की प्रतिलिपि, रनिंग नोट [illegible] सत्यापन वार्ता दिनांक 03.09.2024 व [illegible].09.2024 का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड मन् [illegible]लिस निरीक्षक को सुपूर्द कर आवश्यक हिदा[illegible] की गई। मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा पेश [illegible]निंग नोट का अवलोकन एवं रिश्वत मांग स[illegible] वार्ता को सुना तो मामला रिश्वत लेन देन का पाया जाता है। [illegible]रीक्षक ने परिवादी श्री रामदेवाराम से द[illegible] तो परिवादी ने उपरोक्त तथ्यो की ताईद की। परिवादी श्री [illegible] पटवारी के बारे में मालुमात किया तो ब[illegible] आज पटवारियो की हड़ताल चल रही है व श्री जगमाल [illegible] का फोन नही आया है इसलिए आज ट्रेप [illegible] नही हो सकती है। आईन्दा गिरदावर का फोन आने पर [illegible]ही हेतु कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। [illegible] एवं गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया [illegible]09.2024 को परिवादी श्री रामदेवाराम ने [illegible] मोबाईल फोन मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आज मेरे [illegible]माल सिंह गिरदावर व श्री रोहिताश्व पट[illegible] थे जिन्होने शेष रहे 6000 रुपये देने के लिए कहा है। मैने [illegible]स्था नही होने पर उन्हे कल तक रुपयो की [illegible] देने के लिए कहा है। श्री जगमाल सिंह गिरदावर ने [illegible] तक रुपयो की व्यवस्था कर लेना, मै आप[illegible] बता दुंगा कि कहां मिलना है। जिस पर परिवादी को [illegible]00 एएम पर रिश्वत में दी जाने वाली रा[illegible] रुपये की व्यवस्था कर एसीबी चौकी झुंझुनूं पर आने की [illegible]सिब की गई। दिनांक 26.09.2024 को प[illegible] परिवादी श्री रामदेवाराम गोपनीय कार्यवाही हेतु [illegible]स्थित आया। स्वतंत्र गवाह श्री संजीव कुमा[illegible] ऑफिसर एवं श्री पवन जागिड़ पुत्र श्री भागीरथमल [illegible] जागिड़, उम्र 43 साल, निवासी ए-62 ब[illegible] झुंझुनूं हाल फार्मासिस्ट बी.डी.के. राजकीय अस्पताल, [illegible] कार्यवाही हेतु कार्यालय उपस्थित आये। [illegible] पवन जागिड़ ने बताया कि पूर्व में श्री नरेश कुमार को पी. [illegible] ने एसीबी चौकी पर गोपनीय कार्यवाही [illegible] भिजवाया गया था। श्री नरेश कुमार के घरेलु कार्य होने के [illegible]जगह पी.एम.ओ साहब ने मुझे भेजा है। उ[illegible] गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढाया एवं [illegible]था दोनो गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में ब[illegible] गवाह रहने की सहमति प्राप्त कर परिवादी के प्रार्थना पत्र [illegible] करवाये गये। परिवादी श्री रामदेवाराम द्वा[illegible] रोहिताश्व पटवारी पटवार हल्का झाझड़ तहसील नवलगढ के [illegible]3.09.2024 को एवं परिवादी श्री रामेद[illegible] श्री रोहिताश्व पटवारी पटवार हल्का झाझड़ एवं श्री [illegible] गिरदावर, सर्किल बसावा के मध्य दिनां[illegible].09.2024 को रुबरु हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कार्यालय [illegible]यस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में परिवादी [illegible] की गई है। डिजिटल टेपरिकार्डर के मैमोरी कार्ड में [illegible] बातचीत को दोनों गवाहान व परिवादी [illegible] में डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को [illegible]कर रिकार्ड वार्ता को सुना जाकर रिकार्ड[illegible] का फर्द वार्ता रुपान्तरण तैयार किया गया। डिजिटल [illegible] मय मैमोरी कार्ड को लैपटॉप से जोडकर [illegible] को तीन पैन ड्राईव KDM कम्पनी 8 जीबी में बारी-[illegible]लोड किया गया। एक पैन ड्राईव को सफेद [illegible] थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर [illegible]पर मार्क A अंकित कर परिवादी एवं संब[illegible] हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैन ड्राईव आरोपी हेतु व एक पैन [illegible] हेतु खुले रखे गये। डिजिटल टेपरिकार्डर से [illegible] कार्ड SANDISK ULTRA 16 जी.बी. को निकालकर [illegible]र्ड के कवर में डालकर एक सफेद कपड़े की [illegible] डालकर कपड़े की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान [illegible]के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क A-1 [illegible] गया। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी श्री [illegible] एक आवाज स्वयं की तथा एक आवाज श्री [illegible] पटवारी, पटवार हल्का झाझड़ व एक आवाज श्री [illegible] गिरदावर, सर्किल बसावा की आवाज होना [illegible] की। पैन ड्राईव एवं मौमोरी कार्ड की हैश वैल्यु [illegible]क से शामिल कार्यवाही की गई। सील्ड पै[illegible] A एवं A-1 को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया

[illegible] ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल [illegible] गई। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री [illegible] को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश कर[illegible] तो परिवा[illegible] ने 6000/- रूपये भारतीय मुद्रा के पाँच- [illegible] के 12 नोट कुल 6000/- रूपये पेश किये [illegible] नम्बरों का वि[illegible]रण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन [illegible]कित करवाकर नोटो पर श्री श्योपाल हैड का[illegible] 40 से हस्[illegible] कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। [illegible] संजीव डांगी से परिवादी श्री रामदेवाराम की [illegible] तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के [illegible] वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर [illegible] 6000/- रूपये के नोट श्री श्योपाल हैड कानि0 न0 40 से [illegible] पहनी हुई पेंट की सामने की दाहिनी जेब में [illegible] पूर्वक रख[illegible]ये जाकर परिवादी श्री रामदेवाराम को [illegible]ई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। [illegible] गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर [illegible] की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी [illegible] गवाहान को समझाया गया। श्री श्योपाल हैड कानि0 न0 [illegible] दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सद[illegible] साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में [illegible]ने हेतु काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक [illegible] गिलासों व कांच की शीशियों को साफ पानी व साबुन [illegible] साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाय[illegible] पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय [illegible] समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। [illegible] डिजीटल टेप रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड को चलाकर [illegible] मैमोरी कार्ड में पूर्व की कोई वार्ता रिकार्ड [illegible] पाई गई। उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के [illegible] होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्व[illegible] हेतु परिवादी श्री रामदेवाराम को सुपुर्द कर मुनासिब [illegible]। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी [illegible]ट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर [illegible]ही की गई। श्री श्योपाल हैड कानि0 न0 [illegible] कार्यालय में छोड़ा गया। परिवादी श्री रामदेवाराम ने बताया [illegible] पास श्री जगमाल सिंह गिरदावर का [illegible] है तथा गिरदावरजी शाम के समय कम मिलते है, [illegible] रिश्वत का लेनदेन नही हो सकता है। परि[illegible] बताया कि कल दिनांक 27.09.2024 को मेरे बच्चो [illegible] परीक्षा है। मै बच्चो के साथ जयपुर जाउंगा औ[illegible]जी शनिवार व रविवार को अवकाश होने के कारण नही [illegible] दिनांक 30.09.2024 को एसीबी चौकी झुंझु[illegible] उपस्थित हो जाउंगा। आज ट्रेप कार्यवाही नही होने से [illegible] दाहिनी जेब में रखी रिश्वत राशि श्री श्योपा[illegible] न0 40 से निकलवाई जाकर एक सफेद कागज के [illegible]वाकर आलमारी में सुरक्षित रखवाई गई। [illegible] आवश्यक हिदायत मुनासिब कर रुखसत किया गयां। [illegible] गवाह श्री संजीव कुमार डांगी नर्सिंग ऑफिस[illegible] पवन जांगिड़ फार्मासिस्ट बी.डी.के. अस्पताल झुंझुनूं को [illegible].2024 को सुबह 09.00 एएम पर एसीबी [illegible] उपस्थित आने कि हिदायत मुनासिब कर रुखसत किये [illegible]0.09.2024 को पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाह[illegible] कुमार डांगी, नर्सिंग आफिसर व श्री पवन जांगिड़, [illegible]0डी0के अस्पताल झुंझुनूं हाजिर कार्यालय [illegible] परिवादी श्री रामदेवाराम का कॉल मन् पुलिस निरीक्षक के [illegible] बताया कि श्री जगमाल सिंह, गिरदावर ह[illegible] तहसील नवलगढ़ आज मेरे से रूपये ले सकता है, मुझे [illegible] समय लग जायेगा इसलिए आप नवलगढ़ [illegible] मै आपको रोडवेज बस स्टैण्ड नवलगढ पर मिल जाउंगा। [illegible] निरीक्षक सुरेशचंद, श्री रोहिताश्व सिंह सउनि[illegible] सिंह हैड कानि, श्री सुनिल यादव वरिष्ठ सहायक, श्री [illegible] कानि0 138, श्री ईशाक मोहम्मद कानि0 4[illegible] सुमित्रा म0कानि0 511, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 चालक [illegible] बॉक्स, लिफाफे में रखी फिनोफ्थलीन पाउ[illegible] रिश्वती राशि 6000 हजार रूपये, लेपटोप प्रिन्टर मय [illegible] श्री संजीव कुमार डांगी नर्सिंग आफिसर [illegible] जांगिड़, फार्मासिस्ट सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के [illegible] ट्रेप कार्यावाही हेतु परिवादी के बताये अ[illegible]गढ के लिए रवाना हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद [illegible]न के रोड़वेज बस डिपो नवलगढ़ पहुंचे ज[illegible] परिवादी श्री रामदेवाराम उपस्थित मिला। मन् पुलिस [illegible] सुरेशचंद ने परिवादी श्री रामदेवाराम से उसके [illegible] [redacted] आरोपी श्री जगमाल सिंह, [illegible] मोबाइल नम्बर [redacted] पर वार्ता [illegible] तो आरोपी ने कहा कि मैं बस में हूं बाद में बात करता हूं। [illegible] परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन क[illegible] टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। परिवादी ने मन् [illegible] निरीक्षक को बताया कि आरोपी श्री जगमाल सिं[illegible] रूपये लेने के लिए कभी भी मेरे घर पर मेरी दुकान पर [illegible] इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी [illegible]राम मय हमराहीयान के नवलगढ़ से रवाना होकर [illegible] गांव भैरू बास, झाझड़ के लिये रवाना हुआ। [illegible] निरीक्षक सुरेशचंद मय परिवादी श्री रामदेवाराम, [illegible] श्री पवन जांगिड़, श्री कुमार सानु कानि0 [illegible] प्राईवेट वाहन से परिवादी के घर पहुचं आरोपी के आने के [illegible] कम हुये व अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य व सरका[illegible] को झाझड़ बस स्टैण्ड पर मुकिम रहने की हिदायत मुनासीब [illegible] आरोपी श्री जगमाल सिंह, गिरदावर का मालु[illegible] हेतु परिवादी के मोबाइल नम्बर [redacted] से [illegible] जगमाल सिंह, गिरदावर के मोबाइल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवायी तो आरोपी ने कहा आपका काम [illegible] ही मुझे समय मिलेगा मै आपके पास आ ज[illegible] वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर [illegible] रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड कि[illegible] परिवादी श्री रामदेवाराम ने बताया कि श्री जगमाल सिंह, [illegible] मैने मेरे स्तर पर पता किया है कि वो आज [illegible] तरफ निकल गये है तथा आज नही आयेगे। श्री जगमाल

[illegible] झाझड़ होकर की सीकर जाते है। परिवादी [illegible] कि गिरदावर जी कल मेरे से रूपये ले सकता है मै [illegible] मिल जाउंगा। जिस पर परिवादी श्री [illegible] को उनके घर पर छोडकर आवश्यक हिदायत मुनासीब [illegible] निरीक्षक मय हमराहीयान सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के भैरू बास, झाझड़ से एसीबी चौकी झुंझुनूं के [illegible] हुआ। अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य को भी एसीबी आफिस पहुचने की हिदायत की गई। मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद [illegible] न सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के भैरू बास, झाझड़ से रवाना होकर एसीबी चौकी झुंझुनूं पहुचे। डिजिटल [illegible] मय मैमोरी कार्ड तथा लिफाफे में रखी रिश्वती राशि को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखकर तालाबंद [illegible] तंत्र गवाहान श्री संजीव कुमार डांगी, नर्सिंग आफिसर व श्री पवन जांगिड़, फार्मोसिस्ट बी.डी.के अस्पताल [illegible] क 01.10.2024 को कार्यालय में 09.00 [illegible] पर उपस्थित होने की आवश्यक हिदायत कर रूखस्त किया [illegible] 01.10.2024 को पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री संजीव कुमार डांगी, नर्सिंग आफिसर व श्री पवन जांगिड़, [illegible] डी.के अस्पताल झुंझुनूं हाजिर कार्यालय आये। मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद, स्वतंत्र गवाहान श्री संजीव [illegible] नर्सिंग आफिसर व श्री पवन जांगिड़, फार्मोसिस्ट, कार्यालय स्टाफ श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री श्योपाल [illegible] त्रिलोक सिंह हैडकानि, श्री सुनिल यादव वरिष्ठ सहायक, श्री कुमार सानु कानि0 138, श्री ईशाक मोहम्मद [illegible] मती सुमित्रा मकानि0 511, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 चालक 371 मय ट्रेप बॉक्स, लिफाफे में रखी [illegible] पाउडर युक्त रिश्वती राशि 6000 हजार रूपये डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक [illegible] को परिवादी के मोबाईल से श्री जगमाल सिंह गिरदावर के मोबाईल पर हुई वार्ता रिकार्ड है, लेपटॉप प्रिन्टर [illegible] वाहन व प्राईवेट वाहन के वास्ते गोपनीय [illegible] हेतु रवाना हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद मय [illegible] रोड़वेज बस डिपो नवलगढ़ पहुंचे जहां [illegible] श्री रामदेवाराम उपस्थित मिला। परिवादी श्री [illegible] मन् पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी श्री जगमाल सिंह, गिरदावर आज रूपये लेने मेरे घर पर आ [illegible] पर मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री रामदेवाराम मय हमराहीयान के नवलगढ़ से रवाना परिवादी के [illegible] झाझड़ के लिये रवाना हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद मय परिवादी श्री रामदेवाराम, स्वतंत्र गवाह श्री [illegible] श्री रोहिताश्व सउनि, श्री ईशाक मोहम्मद [illegible] मय प्राईवेट वाहन से परिवादी के घर पहुच आरोपी के [illegible] में मुकिम हुये व अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य व [illegible] वाहन को झाझड़ बस स्टैण्ड पर मुकिम रहने की हिदायत [illegible] यी। परिवादी श्री रामदेवाराम के मोबाईल [redacted] से आरोपी श्री जगमाल सिंह, गिरदावर के [illegible] [redacted] पर काम के संबंध में वार्ता [illegible] तो श्री जगमाल सिंह गिरदावर ने बताया कि आपके [illegible] पूछ कर पता करता हूँ। उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर डिजीटल टेप रिकार्डर में [illegible] र्ड में रिकार्ड किया गया। आरोपी श्री जगमाल सिंह गिरदावर के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी [illegible] बर [redacted] पर कॉल आया और [illegible] पटवारी जी के पिताजी बीमार है जिनको सीकर भर्ती कर [illegible] की छुट्टी है आपका काम शुक्रवार को हो [illegible] वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर [illegible] रिकार्डर में लगे मैमोरी कोर्ड में रिकार्ड किया [illegible] आरोपी श्री जगमाल सिंह, गिरदावर परिवादी श्री [illegible] शेष रही रिश्वत राशि लेने उसके घर पर [illegible] है। श्री जगमाल सिंह गिरदावर का गोपनीय स्तर पर [illegible] तो सीकर की तरफ जाना ज्ञात हुआ है। [illegible] जगमाल सिंह गिरदावर के शेष रही रिश्वत राशि लेने के लिए [illegible] ना नही है। परिवादी ने भी बताया कि गिरदावर [illegible] इस समय सीकर की तरफ जाते है। परिवादी श्री [illegible] को आवश्यक हिदायत मुनासीब कर उन्हे घर [illegible] कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के भैरू बास, [illegible] बी चौकी झुंझुनूं के लिये रवाना हुआ। अन्य [illegible] सदस्य को भी एसीबी आफिस पहुचने की हिदायत की [illegible] निरीक्षक सुरेशचंद मय हमराहीयान सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के भैरू बास, झाझड़ से रवाना होकर [illegible] झुंझुनूं पहुचे। डिजिटल टेप रिकार्ड मय मैमोरी कार्ड तथा लिफाफे में रखी रिश्वती राशि को कार्यालय की [illegible] रक्षित रखकर तालाबंद किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद ने स्वतंत्र गवाहान श्री संजीव कुमार डांगी, [illegible] र व श्री पवन जांगिड़, फार्मोसिस्ट बी.डी.के अस्पताल झुंझुनूं को आवश्यक हिदायत देकर रूखस्त किया गया। [illegible] .2024 को मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर परिवादी श्री रामदेवाराम के [illegible] [redacted] से कॉल आया व परिवादी ने बताया कि आज आरोपी श्री जगमाल सिंह, गिरदावर व श्री [illegible] वारी मेरी दुकान पर आया था जिसने बाकी 6000 हजार रूपये मांगे तो मैने 02 घंटे में व्यवस्था कर देने की [illegible] रे घर पर ही आ जाओ। कानि0 कुमार सानु को [illegible] गवाहान को कार्यालय में बुलाने हेतु निर्देशित किया [illegible] गवाहान श्री संजीव कुमार डांगी, नर्सिंग आफिसर व श्री पवन जांगिड़, फार्मोसिस्ट बी.डी.के अस्पताल झुंझुनूं [illegible] य आये। मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद, श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री श्योपाल हैडकानि, श्री त्रिलोक सिंह [illegible] कुमार सानु कानि 138, श्री ईशाक मोहम्मद कानि 40, श्रीमती सुमित्रा मकानि 511, श्री सुरेन्द्र कुमार कानि [illegible] स्वतंत्र गवाहान श्री संजीव कुमार डांगी नर्सिंग आफिसर व श्री पवन जांगिड़ फार्मासिस्ट मय ट्रेप बॉक्स, [illegible] रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 30.09.2024 व 01.10.2024 को परिवादी के मोबाईल से श्री [illegible] गिरदावर के मोबाईल पर हुई वार्ता रिकार्ड है, लिफाफे में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वती राशि

…रूपये, लेपटॉप प्रिन्टर मय सरकारी वाहन व प्राईवेट वाहन के वास्ते गोपनीय ट्रेप कार्यावाही हेतु परिवादी के … झाझड़ के लिये रवाना हुआ। मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद मय स्वतंत्र गवाह श्री पवन जांगिड़, श्री कुमार सानु … प्राईवेट वाहन से परिवादी के घर पहुचं … आने के इंतजार में मुकिम हुये व अन्य ट्रेप पार्टी सदस्य व … को झाझड़ बस स्टैण्ड पर मुकिम कर हिदायत मुनासीब की गयी। श्री जगमाल सिंह गिरदावर परिवादी के … रिश्वत राशि लेने के लिए नही आने पर … के मोबाइल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री जगमाल … के मोबाइल नम्बर [redacted] पर वार्ता करवायी तो आरोपी श्री जगमाल सिंह गिरदावर ने कहा कि मै … दिर तक इंतजार किया था। परिवादी से … आरोपी के फोन पर कॉल करवाया गया तो आरोपी ने कॉल … क्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर … कर डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया गया। मन् … क सुरेशचंद ने आरोपी श्री जगमाल सिंह, गिरदावर का गोपनीय रुप से मालूमात किया तो श्री जगमाल सिंह … गौड़जी की तरफ जाना मालुम हुआ। परिवादी ने बताया कि आरोपी अपने गांव चला गया है आज नही आयेगा … रामदेवाराम को आवश्यक हिदायत मुनासीब कर उन्हे घर पर छोड़कर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान … व प्राईवेट वाहन के भैरू बास, झाझड़ से एसीबी चौकी झुंझुनूं के लिये रवाना हुआ। अन्य ट्रेप पार्टी सदस्यो को … कार्यालय में पहुचने की हिदायत की गई। मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद मय हमराहीयान सरकारी वाहन व … के एसीबी चौकी झुंझुनूं पहुचे। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड तथा लिफाफे में रखी रिश्वती राशि को … आलमारी में सुरक्षित रखकर तालाबंद किया … स्वतंत्र गवाहान श्री संजीव कुमार डांगी, नर्सिंग आफिसर व … ड़, फार्मोसिस्ट बी.डी.के अस्पताल झुंझुनूं को … हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक … को परिवादी श्री रामदेवाराम का फोन मुझ पुलिस निरीक्षक के पास फोन आया व बताया कि श्री जगमाल … व पटवारी श्री रोहिताश्व मेरी दुकान पर … आवासीय पट्टा के नामान्तरण की प्रति देकर गये है। … में श्री जगमाल सिंह ने कहा कि मैं आपको … दूंगा और फोन नही करने की भी कही। आदि पर … हिदायत दी गई कि सम्पर्क करते ही बताना। दिनांक 04.12.2024 को परिवादी श्री रामदेवाराम उपस्थित … र मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि दिनांक 29.11.2024 के बाद गिरदावर जगमाल सिंह व पटवारी … मेरे पास फोन नही आया ना ही कोई सम्पर्क … अब मेरा आवासीय पट्टा से वाणिज्य में कनवर्जन करवाने … वर से मिला तो कहा कि पहले पिछे का हिसाब … फिर आपका काम आगे करूंगा फिर मैं वापस आ गया था … स्त हो गया था। आज आया हूं अब गिरदावर … सिंह मेरे से रिश्वत राशि ले सकता है जिस पर … दिनांक 06.12.2024 को कार्यवाही कराने … कर रूखसत किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने जरिये … गवाहान श्री संजीव कुमार डांगी, नर्सिंग … श्री पवन जांगिड़, फार्मोसिस्ट बी.डी.के अस्पताल … नीय कार्यावाही हेतु दिनांक 06.12.2024 … 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थिति हेतु पाबंद्ध किया … 06.12.2024 को परिवादी श्री रामदेवाराम … मन् पुलिस निरीक्षक के फोन पर आया व परिवादी ने … को झुंझुनूं आने में समय लगेगा इसलिए आप … हेतु रोड़वेज बस स्टैण्ड, नवलगढ़ आ जाओ, मैं आपको … जाऊंगा। पूर्व से पाबंद्धशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री संजीव कुमार डांगी, नर्सिंग आफिसर व श्री पवन जांगिड़, … डी.के अस्पताल झुंझुनूं कार्यालय में उपस्थित … मन् पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद, श्री श्योपाल हैडकानि, श्री … डकानि, श्री कुमार सानु कानि0 138, श्री … कानि0 चालक 371, स्वतंत्र गवाहान श्री संजीव … र्सिंग आफिसर व श्री पवन जांगिड़ फार्मासिस्ट … ट्रेप बॉक्स, डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जिसमें … 2024, 01.10.2024, 04.10.2024 को परिवादी के मोबाईल से श्री जगमाल सिंह गिरदावर के मोबाईल … रिकार्ड है, लिफाफे में रखी फिनोफ्थलीन … रिश्वती राशि 6000 हजार रूपये, ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप … कारी वाहन के वास्ते गोपनीय ट्रेप कार्यावाही हेतु परिवादी के बताये अनुसार रोड़वेज बस स्टैण्ड, नवलगढ़ के … पुलिस निरीक्षक सुरेशचंद मय हमराहियान … बस डिपो नवलगढ़ पहुंचे जहां पर परिवादी श्री … पस्थित मिला।परिवादी श्री रामदेवाराम ने … निरीक्षक को बताया कि मैंने गोपनीय रूप मालूमात … चला कि श्री जगमाल सिंह, गिरदावर आज … कार्यालय नवलगढ़ में नही आया है उसका इंतजार कर … मुकीम रोड़वेज बस स्टैण्ड नवलगढ़ रहे। … श्री रामदेवाराम से पुनः गोपनीय रूप से मालूमात … सी जगमाल सिंह , गिरदावर तहसील कार्यालय … के कार्यालय बसावा में उपस्थित नही आया है और ना … भावना है जिस पर परिवादी श्री रामदेवाराम को आवश्यक हिदायत मुनासीब कर रूखस्त किया गया व मन् … क मय हमराहीयान सरकारी वाहन के रोड़वेज … स्टैण्ड नवलगढ़ से एसीबी चौकी झुंझुनूं के लिये रवाना हुआ … चौकी झुंझुनूं पहुचे। डिजिटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड तथा लिफाफे में रखी रिश्वती राशि को कार्यालय … में सुरक्षित रखकर तालाबंद करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान श्री संजीव कुमार डांगी, नर्सिंग आफिसर व श्री … फार्मोसिस्ट बी.डी.के अस्पताल झुंझुनूं को आवश्यक हिदायत देकर रूखस्त किया गया। दिनांक 24.12.2024 … राम से मन् पुलिस निरीक्षक ने मोबाईल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क किया तो बताया कि आरोपी से … आ है आरोपी की लड़की की शादी थी इसलिए … अवकाश पर चल रहा है। मैंनें गोपनीय रूप से मालुम किया है।

हिदायत दी गयी। दिनांक 31.12.2024 को परिवादी श्री रामदेवाराम से उसके मोबाईल [redacted] पर रीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क कर वार्तालाप की तो बताया कि आरोपी ने मोबाईल बन्द र मेरे से सम्पर्क नही किया मुझे विश्वास है कि उसको शक हो गया है। सर्दी ज्यादा होने के कारण में झुंझुनूं नही लाप नवलगढ़ आ जाओ। परिवादी को हिदायत की गयी। परिवादी से उक्त वार्तालाप के संबंध में श्रीमान अति0 एसीबी झुंझुनूं को हालात निवेदन किये। अनुसार मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री कुमार सानु कानि0 138 वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार मय रिश्वती राशि एवं पत्रावली के परिवादी के कहे अनुसार नवलगढ़ के लिये न पुलिस निरीक्षक मय हमराही के रोड़वेज बस डिपो नवलगढ़ पहुच जहां पर पाबंद्व शुदा परिवादी श्री पस्थित मिला जिसने बताया कि आरोपी की लड़की की शादी थी तब से अवकाश पर था लेकिन अब आरोपी र रखा है एवम् मेरे से किसी तरह का सम्पर्क नहीं किया है। आरोपी की जगह दूसरा गिरदावर श्री बाबूलाल है। मुझे विश्वास है कि आरोपी को शक हो गया है अब मेरे से रिश्वत राशि नही लेगा व परिवादी ने रिश्वत लौटाने की कही, इस संबंध में परिवादी ने प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया। प्रार्थना पत्र को बाद अवलोकन ली किया गया। परिवादी श्री रामदेवाराम से रिश्वत राशि 6000 रूपये फिनोथलीन पाउडर से मुक्त कर सुपुर्द द प्राप्त की गयी एवम् परिवादी को बाद हिदायत रुखस्त किया गया। आरोपी श्री जगमाल सिंह गिरदावर नवलगढ़ जिला झुंझुनूं ने परिवादी के आवासीय पट्टा का नामान्तरण करने के एवज में परिवादी दिनांक को श्री जगमाल सिंह, गिरदावर से मिला तो उन्होंने आवासीय पट्टा का नामान्तरण करने के एवज में 10,000 कर 4,000 रूपये उसी वक्त प्राप्त किये गये व शेष 6000 रूपये बाद में देने की कही। रिश्वत मांग सत्यापन 9.09.2024 को परिवादी श्री रामदेवाराम व आरोपी श्री जगमाल सिंह, गिरदावर के मध्य हुई वार्ता के श्री रोहिताष्व, पटवारी, पटवार हल्का झाझड़ कहता है कि अरे रोहिताश जी ओ रोहिताश जी तो आरोपी कहता है कि थे ले ल्यो व आरोपी श्री जगमाल सिंह परिवादी से कहता है कि बात इंया है मैं खर्चो पानी ले रिवादी कहता है कि तो बताओ कित्ता देणा है इमें भी कोई फर्क आव तो बताओ तब आरोपी कहता है ायेड़ो होग्यो न तो परिवादी कहता है तो कहयो हो मान तो इसके आगे आरोपी कहता है कि कहेड़ी ड उ तब परिवादी कहता है कि हा तब आरोपी कहता है कि कि भाई दस दिया दिये तब आरोपी जगमाल सिंह हता है कि तो बिन बुला लायु फेर, कर ही ... फिर एक बार के हो जावो तब परिवादी कहता है बुला बाद आरोपी जगमाल सिंह कहता है कि ... ई, रिपीया लायो है के तब परिवादी कहता है कि ना बाद आरोपी जगमाल सिंह कहता है कि मैं ... कह आयो मको दस हजार रूपया देकर......अस्पष्ट... यो देखनो कोनी चाहू आन थे कागज लेलो ... कर दूंगो और रूपया थार कन मैं ले लूंगो, रामदेवजी कन .. तब परिवादी कहता है कि तो साहब ... बात ही बिती गिरदावरजी ल्यो कोई बाकन माफी बा इसके आगे आरोपी परिवादी से चार हजार रूपये लेने के बाद आरोपी श्री जगमाल सिंह कहता है कि आठ रवादी कहता है कि चार हजार ही तब आरोपी कहता है चार ही न इसके बाद आरोपी कहता है कि पिसा काम होवगो थारो हावगो इसके बाद आरोपी जगमाल सिंह परिवादी से कहता है कि 4 दिया ही 6 और, और ग से इस प्रकार आरोपी श्री जगमाल सिंह, गिरदावर द्वारा परिवादी के आवासीय पट्टा का नामान्तरण करने 0,000 रुपये रिश्वत की मांग करना व एवज में 4,000 रूपये प्राप्त करना पाया गया है। इस प्रकार ल सिंह ,गिरदावर बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं व श्री रोहिताश, पटवारी पटवार हल्का झाझड़ ढ़ जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी का आवासीय पट्टा के नामान्तरण करने की 10,000 रुपये रिश्वत की मांग करना एवम् आरोपी श्री जगमाल सिंह गिरदावार द्वारा मांग सत्यापन के रूपये प्राप्त करना एवम् शेष रूपये बाद में देने की मांग करना अन्तर्गत अपराध धारा 7,12 भ्रष्टाचार नियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध कारित होना पाया जाना है अत आरोपी 1 श्री जगमाल सिंह पुत्र श्री धर्मपाल र्ष निवासी ग्राम धमोरा (जाखड़ो की ढाणी), वाया परसामपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, पुलिस थाना गुढ़ा झुंझुनूं हॉल भू.अ. निरीक्षक कार्यालय तहसील नवलगढ़ से स्थानान्तरण तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं 2 कुमार पुत्र श्री बिसनाराम उम्र 43 वर्ष निवासी ... बिदड़ो की ढाणी, पोस्ट परसरामपुरा, तहसील नवलगढ, ल पटवारी कार्यालय तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7,12 भ्रष्टाचार निवारण 88 (यथा संशोधित 2018) मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु सीपीएस को प्रेषित है। (सुरेश चन्द) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।...........कार्यवाही प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस ार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है उक्त रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,12 पीसी एक्ट 1988 2018) में आरोपीगण 1 श्री जगमाल सिंह पुत्र श्री धर्मपाल सिंह, उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम धमोरा णी), वाया परसामपुरा, तहसील उदयपुरवाटी, पुलिस थाना गुढ़ागौड़जी, जिला झुंझुनूं हॉल भू.अ. निरीक्षक ील नवलगढ से स्थानान्तरण तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं 2 श्री रोहिताश कुमार पुत्र श्री बिसनाराम

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

वासी ग्राम खेदड़ो की ढाणी, पोस्ट परस... तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं हॉल पटवारी कार्यालय ...ढ जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त ...प्रधान अधिकारी श्री रविन्द्र सिंह शेखावत, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनीत ...उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 74 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार ... राजस्थान जयपुर। क्रमांक 126-29 दिनांक 05-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित ...विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-2,जयपुर। 2-जिला कलक्टर (भू. ...झुंझुनूं। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार ...चौकी, झुन्झुनूं। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

...taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

...कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

...istered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

...(Name of I.O.): **...अधिकारी का नाम):**	Ravindra Singh Shekhawat	**Rank** **(पद):**	उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

... to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

... investigation due to

...लिए) :

...कारण इंकार किया, या)

...ferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

... of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण स्थानांतरित) .

...ver to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the ...informant free of cost.

...सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुआ माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

...आर.ओ.ए.सी.)

...Thumb impression of the complainant / informant
...कर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 0...2/2025 1...

...time of dispatch to the court
...प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट ... 7 ...):

...eformities and other details of the suspect/ac...sed: (if known/seen)
...ारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ... / देखा गया))

... (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(सें.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
2	3	4	5	6	7
	01/02/1971				
	06/08/1980				

...culiarities (...विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
	9	10	11	12	13

Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	Others (अन्य)
15	16	17	18	19	20

...entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
...जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त ... कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)